(4)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक /वि.स./स्था./2023 रायपुर, दिनांक / /2023

//कार्यालय-आदेश//

प्रायः देखा गया है कि अवकाश के दिनों में अथवा सचिवालय समय पश्चात् अन्यत्र समय पर कतिपय अधिकारी/कर्मचारी विधान सभा सचिवालय आकर अपने कक्ष खुलवाकर बैठते हैं, किन्तु यह अनुभव में आया है कि इसकी अनुमति नहीं ली जाती और न ही वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया जाता है ।

अवकाश के दिनों में अथवा अन्यथा समय पर विधान सभा सचिवालय के कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों का बिना औचित्य व पर्याप्त अनुमति के आना उचित नहीं है। यदि किसी प्रकार की कोई आवश्यकता अथवा कक्ष खुलवाया जाना आवश्यक हो, तो सचिव से अनुमति उपरान्त ही कक्ष खुलवाया जाए । उक्त निर्देश का कृपया कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

आदेश से,

हस्ता/-

संचालक

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ. क्रमांक 8723/वि.स./स्था./2023 रायपुर, दिनांक 20/09 /2023

प्रतिलिपिः-

01. मान.अध्यक्ष, छ.ग. विधान सभा के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02. सचिव, छ.ग. विधान सभा सचिवालय के स्टॉफ ऑफिसर को सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
03. संचालक, (सुरक्षा) छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय कृपया भविष्य में अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करायें ।
04. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छ.ग.विधान सभा सचिवालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
05. सर्वर कक्ष ।

20/9/23

प्रशासकीय अधिकारी

छत्तीसगढ़ विधान सभा